न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास श्री विकास पंचोली (RAS) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 82/2010 (2010/00108) दायर तारीख 07/07/2010

संशोधित टाईटल

अनवान

1. साबुदीन वल्द हासु जी मंसूरी निवासी सरगांव तहसील सहाडा मृतक के बजाय
   1/1 शरीफ मोहम्मद पिता अजीज मोहम्मद मंसूरी निवासी धमाणा हाल जूणदा

2. भूरा वल्द हासु जी मंसूरी निवासी सरगांव तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

.... वादीगण

बनाम

1. पीरु वल्द रसूल जी मंसूरी निवासी सरगांव मृतक के बजाय
   1/1 श्रीमती मांगी विधवा पीरु मंसूरी पुत्री लादूदीन जी पिनारा निवासी बारु तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ़

2. सलीम वल्द अलादीन जी मंसूरी निवासी सरगांव तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
3. सज्जन वल्द अलादीन जी मंसूरी निवासी सरगांव तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
4. आजाद वल्द अलादीन जी मंसूरी निवासी सरगांव तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
5. नूरदीन वल्द अलादीन जी मंसूरी निवासी सरगांव तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
6. सद्दाम वल्द अलादीन जी मंसूरी निवासी सरगांव तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
7. धापू विधवा चांदू जी मंसूरी निवासी सरगांव तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
8. अकबर वल्द चांदू जी मंसूरी निवासी सरगांव तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
9. रईसा पुत्री चांदू जी मंसूरी निवासी सरगांव तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
10. फिरोज वल्द कमरुदीन जी मंसूरी निवासी सरगांव तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
11. अब्दुल सत्तार वल्द कमरुदीन जी मंसूरी निवासी सरगांव तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
12. श्रीमती रईशा विधवा कमरुदीन जी मंसूरी निवासी सरगांव तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
13. रामलाल पिता मेघाजी जाट निवासी सरगांव तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
14. मु. सईदा विधवा कमरुदीन जी मंसूरी निवासी सरगांव तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाडा मु. गंगापुर

प्रतिवादीगण

उपस्थित :— वादीगण अधिवक्ता — श्री मनोहरलाल बापना
प्रतिवादीगण अधिवक्ता — श्री सुनिल कुमार जैन
पेशेकार सरकार

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 रा0टी0एक्ट ::

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.07 17:22:24 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांक 25.08.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है — वादीगण ने यह वादपत्र राजस्व ग्राम सरगांव की सरहद [illegible] आराजी संख्या 284 रकबा 0.02 हे0, 285 रकबा 0.24 हे0, 519 रकबा 0.33 हे0, 585 रकबा 0.17 हे0, 586 रकबा 0.23 हे0, 1331 रकबा 0.05 हे0, 1332 रकबा 0.92 हे0, 1346 रकबा 0.68 हे0, 1356 रकबा 0.25 हे0, 1358 रकबा 0.66 हे0, 1359 रकबा 0.07 हे0, 1460 रकबा 0.10 हे0, 1467 रकबा 0.91 हे0, 1470 रकबा 0.58

सहायक कलेक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

..0, 1479 रकबा 0.43 हे0 कुल किता 15 कुल रकबा 5.64 हे0 जो जमाबन्दी सम्वत् 2063 से 2066 मे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 14 के नाम दर्ज रेकार्ड है। इसी प्रकार जमाबन्दी सं. 540 में आराजी नं. 1469 रकबा 0.10 हे. गेमु. खड्डा है जो प्रतिवादी सं. 01 लगायत 12 के नाम दर्ज रेकार्ड है। वाद पत्र की कलम सं. 01 व 02 में वर्णित आराजियात् में से आराजी सं. 284 गेमु. चाह है, आराजी सं. 1331 गेमु. बेण, आराजी सं. 1456 गेमु. रास्ता, आराजी सं. 1459 गेमु. बेण, आराजी नं. 1469 गेमु. खड्डा है जो काबिल बंटवाडा नहीं होने से पक्षकारों के सामलाती रहेंगे। वादीगण वाद पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजियात् अलावा आराजियात् जिसका उल्लेख वाद पत्र की कलम सं. 03 में किया हुआ है में वादीगण को काश्त करने, काश्त लाभ लेने, ऋण आदि की सुविधा प्राप्त कर जमीनों को विकसित करने में तथा लगान जमा कराने में बराबर अड़चन रहती है जिससे वादीगण अपने हिस्से को अलग कराना चाहते है । वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 12 को कई मर्तबा कहा एवं अंतिम बार दिनांक 20.03.2010 को भी कहा किन्तु प्रतिवादीगण तैयार नही होने से वादीगण को यह वाद पत्र प्रस्तुत करना पड़ रहा है। अतः बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण वादपत्र की कलम संख्या 01 मे वर्णित आराजियात अलावा वाद पत्र की कलम सं. 03 में वर्णित आराजियात् का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा कराये जाने की प्राथमिक डिक्री सादिर फरमायी जावे तथा खर्चा प्रकरण महनताना वकील व अन्य आवश्यक दाद वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाई जावे।

प्रकरण दिनांक 07.07.2010 दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये । दिनांक 28.09.2010 को प्रतिवादी संख्या 01, 04 से 07 तथा 09 से 12 के सम्मन नोटिस बाद तामिल अथवा अदम तामील प्राप्त नही हुए है तथा प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4, 8 व पेरोकार सरकार जवाब हेतु मौका चाहते है तथा वादी संख्या 01 की मृत्यु होने से आदेश 22 नियम 3 व 10 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया । उक्त प्रकरण मे तत्पश्चात् सुनवाई दिनांक 23.11.2010, 15.12.2010 नियत की गयी लेकिन प्रशासन गांव के संग 2010 अभियान होने से उक्त प्रकरण बइन्तजार तामील व जवाब प्रतिवादीगण में नियत थी । दिनांक 26.11.2012 को वादीगण ने वादपत्र की ताईद में शपथपत्र सरीफ मोहम्मद मंसुरी निवासी धमाणा हाल जूणदा का पेश किया । उक्त दिनांक को प्रतिवादी संख्या 01 की तलबी नही होने से विधिवत सम्मन प्रोसेस पेश करने पर तलबी जारी हो ऐसा अंकन आदेशिका पर किया गया है । दिनांक 12.05.2015 को उक्त प्रकरण तलबी वारिसान प्रतिवादी संख्या 01 मे नियत था । दिनांक 10.08.2015 की आदेशिका उक्त प्रकरण में नही है । दिनांक 17.07.2015 को राजस्व लोक अदालत केम्प सरगांव में उक्त प्रकरण वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बोण्डस् के आधार पर विभाजन किये जाने हेतु प्रारम्भिक डिक्री पारित करते हुए विभाजन स्कीम हेतु पत्रावली दिनांक 31.07.2015 में नियत की गई । तत्पश्चात् उक्त प्रकरण बइन्तजार विभाजन प्रस्ताव मे नियत चला आ रहा है ।

प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 06 व 08 लगायत 10 द्वारा उक्त प्रकरण में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 व धारा 151 जा0दी0 का पेश कर यह व्यक्त किया कि प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि मामला रेवेन्यु हैं, जो कई वर्षो तक चलेगा, हर तारीख पेशी पर आने की कोई आवश्यकता नही है, जब भी जरूरत होगी सूचित करके बुला लिया जायेगा, इसके पश्चात् प्रार्थीगण द्वारा जानकारी करने पर उनके द्वारा कहा गया कि तुम्हारा मामला चल रहा है, तुम्हे चिन्ता करने की कोई जरूरत नही है । हाल ही मे दिनांक 16.01.2020 को पटवार हल्का मौके पर आये व न्यायालय से बंटवाड़े की प्राथमिक डिक्री जारी होने की जानकारी दी, इस पर प्रार्थीगण द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो उसके द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नही दिया, इस पर अन्य अधिवक्ता से [illegible] किया व नकल प्राप्त की तब प्रार्थीगण की जानकारी में आया कि प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा मामले में उपस्थित नही होने से व प्रार्थीगण को अवगत नही कराने से एक पक्षीय कार्यवाही [illegible] पारित करा दी गई । प्रकरण अचल एवं मूल्यवान सम्पदा से संबंधित है तथा उक्त भूमि [illegible] द्वारा प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण के पूर्वजों को विक्रय की गयी हैं जिस पर प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का [illegible] कब्जा काश्त है । मामले में एक पक्षीय कार्यवाही हो निर्णय / डिक्री पारित होने से प्रार्थीगण अपना पक्ष रखने व साक्ष्य पेश करने से वंचित रहे हैं जिससे प्रार्थीगण के वैद्ध हक अधिकारो का हनन हुआ है । प्रार्थीगण की अनुपस्थिति का कारण माकुल एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.07 17:22:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

युक्तियुक्त है व अधिवक्ता की लापरवाही का खामियाजा पक्षकार नही भुगत सकता हैं जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरित है व प्रकरण साक्ष्य से भी मोहताज रहा है । वादी संख्या 01 साबुदीन के कायम मुकाम शरीफ मोहम्मद को जिस वसियत के आधार पर बनाया गया जो अनरजिस्टर्ड दस्तावेज है व साथ सहाबुदीन की 05 बहिने क्रमशः बानू, कमला, जन्नत, सायरी, शहनाज है उन्हे भी पक्षकार नही बनाया गया व वादी संख्या 02 भूरा उर्फ भूरे खां का निर्णय /डिक्री से 02 वर्ष पूर्व ही दिनांक 27.11.2013 को देहान्त हो गया जिसकी विधिक वारिसान को विहित समयावधि में कायम मुकाम नही बनाया गया जिससे उक्त वाद पत्र स्वतः अबेट हो चुका है । अतः प्रार्थीगण प्रतिवादी का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त प्रकरण में पारित एक पक्षीय प्राथमिक निर्णय /डिक्री दिनांकित 17.07.2015 को अपास्त फरमाया जावे तथा वादीगण का वादपत्र अबेट हो जाने से खारिज फरमाया जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावे ।

वादी संख्या 01 / विपक्षी संख्या 01 की ओर से प्रतिवादीगण /प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया जिसमें यह अंकन किया कि दिनांक 16.01.2020 को किस अधिवक्ता से जानकारी कराई कि एक पक्षीय डिक्री हो गयी हैं नागालेख अथवा उनका शपथपत्र भी पेश नही किया है । अनरजिस्टर्ड वसियत पत्र शहादत में शुमार योग्य हैं जिसका पंजीयन होना आवश्यक नही है । अतः प्रार्थीगण /प्रतिवादीगण का प्रार्थनापत्र निरस्त फरमाया जावे ।

इस प्रकरण में प्रतिवादीगण /प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 व धारा 151 जा0दी0 पर उभयपक्षों के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी । पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

यह प्रकरण दिनांक 12.05.2015 को तलबी वारिसान प्रतिवादी संख्या 01 हेतु दिनांक 10.08.2015 को सुनवाई में नियत था । दिनांक 10.08.2015 को इस प्रकरण में आदेशिका नही लिखी गयी तथा उक्त प्रकरण दिनांक 17.07.2015 को राजस्व लोक अदालत केम्प सरगांव में नियत कर उक्त प्रकरण वादपत्र को स्वीकार कर उक्त प्रकरण में प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित कर दी गयी, जबकि उक्त प्रकरण तलबी वारिसान प्रतिवादी संख्या 01 में नियत था इसके अलावा दिनांक 26.11.2012 को वादीगण ने शपथपत्र पर बयान की स्टेज नही होते हुए भी वादपत्र की ताईद में शपथ पत्र पर बयान शरीफ मोहम्मद मंसुरी निवासी धमाणा हाल जूणदा का पेश कर दिया । इस प्रकरण में वादीगण ने कोई भी दस्तावेज साक्ष्य में प्रदर्श नहीं करवाये गये हैं तथा वादी सं. 02 की मृत्यु प्राथमिक निर्णय व डिक्री से पूर्व हो चुकी है। इस प्रकार उक्त प्रकरण में दिनांक 17.07.2015 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गयी वह कानून के परिपेक्ष्य में विधि सम्वत् नही होने से अपास्त किये जाने योग्य है । अतः इस प्रकरण में पारित प्राथमिक निर्णय/ डिक्री दिनांक 17.07.2015 को अपास्त किया जाता है।

इस प्रकरण में वादी संख्या 01 साबुदीन मंसुरी की मृत्यु दिनांक 03.07.2010 के उपरान्त उसकी 05 बहिने क्रमशः बानू, कमला, जन्नत, सायरी, शहनाज को पक्षकार नही बनाया है तथा वादी संख्या 02 भूरा उर्फ भूरे खा मंसुरी की मृत्यु दिनांक 27.11.2013 के उपरान्त उसके विधिक वारिसान को आज दिवस तक कायम मुकाम पक्षकार नही बनाया है तथा वादी सं. 01 के कायम मुकाम में जो वसीयत प्रस्तुत की गई वह अनरजिस्टर्ड है और जब तक उक्त अनरजिस्टर्ड [illegible] आधार पर वादी सं. 01 का कायम मुकामान् का अधिकार सृजित नहीं हो जाता तब तक वादी [illegible] कायम मुकाम शरीफ मोहम्मद को अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर कायम [illegible] प्रतीत नहीं होता है। जिससे वादीगण का यह वादपत्र अबेट हो जाने से खारिज किया जाना उचित प्रतीत [illegible] है। अतएवः

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.07 17:22:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

वादपत्र संख्या 82/2010 (2010/00108)
अन्तर्गत धारा 53 आर०टी०एक्ट

:: आदेश ::

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी. एक्ट में पारित प्राथमिक निर्णय/डिक्री दिनांक 17.07.2015 को अपास्त किया जाकर वादीगण का यह वादपत्र वादी सं. एक के कायम मुकाम में समस्त वारिसान् को पक्षकार नहीं बनाने तथा अनरजिस्टर्ड वसीयत को निर्णित कराये बिना कायम मुकाम बनाने एवं वादी सं. 02 की मृत्यु के उपरान्त उनके विधिक वारिसान् को विहित समयावधि में पक्षकार नहीं बनाने से वादीगण का यह वादपत्र खारिज किया जाता है।

उक्तानुसार डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारांन् स्वयं अपना–अपना वहन करे।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 25.08.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.07 17:22:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास श्री विकास पंचोली (RAS) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 82/2010 (2010/00108)

दायर तारीख 07/07/2010

संशोधित टाईटल

अनवान

1. साबुदीन वल्द हासु जी मंसूरी निवासी सरगांव तहसील सहाडा मृतक के बजाय
   1/1 शरीफ मोहम्मद पिता अजीज मोहम्मद मंसूरी निवासी धमाणा हाल जूणदा
2. भूरा वल्द हासु जी मंसूरी निवासी सरगांव तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

.... वादीगण

बनाम

1. पीरु वल्द रसूल जी मंसूरी निवासी सरगांव मृतक के बजाय
   1/1 श्रीमती मांगी विधवा पीरु मंसूरी पुत्री लादूदीन जी पिनारा निवासी बारु तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ
2. सलीम वल्द अलादीन जी मंसूरी निवासी सरगांव तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
3. सज्जन वल्द अलादीन जी मंसूरी निवासी सरगांव तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
4. आजाद वल्द अलादीन जी मंसूरी निवासी सरगांव तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
5. नूरदीन वल्द अलादीन जी मंसूरी निवासी सरगांव तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
6. सद्दाम वल्द अलादीन जी मंसूरी निवासी सरगांव तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
7. धापू विधवा चांदू जी मंसूरी निवासी सरगांव तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
8. अकबर वल्द चांदू जी मंसूरी निवासी सरगांव तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
9. रईसा पुत्री चांदू जी मंसूरी निवासी सरगांव तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
10. फिरोज वल्द कमरुदीन जी मंसूरी निवासी सरगांव तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
11. अब्दुल सत्तार वल्द कमरुदीन जी मंसूरी निवासी सरगांव तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
12. श्रीमती रईशा विधवा कमरुदीन जी मंसूरी निवासी सरगांव तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
13. रामलाल पिता मेघाजी जाट निवासी सरगांव तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
14. मु. सईदा विधवा कमरुदीन जी मंसूरी निवासी सरगांव तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाडा मु. गंगापुर

प्रतिवादीगण

उपस्थित :— वादीगण अधिवक्ता – श्री मनोहरलाल बापना
प्रतिवादीगण अधिवक्ता – श्री सुनिल कुमार जैन
पेरोकार सरकार

डिक्री दिनांक 25.08.2020

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मनोहरलाल बापना, प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सुनिल कुमार जैन व पेरोकार सरकार की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 25.08.2020 को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है ओर डिक्री दी जाती हैं कि ---x----- और इस वाद के खर्च लेखे -----x------ रूपये की राशी आज तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर -----x----- प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित -----x--- द्वारा -----x--- को दी जाए।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी. एक्ट में पारित प्राथमिक निर्णय/डिक्री दिनांक 17.07.2015 को अपास्त किया जाकर वादीगण का यह वादपत्र वादी सं. एक के कायम मुकाम में समस्त वारिसान् को पक्षकार नहीं बनाने तथा अनरजिस्टर्ड वसीयत को [illegible] एवं वादी सं. 02 की मृत्यु के उपरान्त उनके विधिक वारिसान् को विहित समयावधि में [illegible] बनाने से वादीगण का यह वादपत्र खारिज किया जाता है। खर्चा फरीकेन [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.07 17:22:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर, भीलवाडा (राज.)

डिक्री आज दिनांक 25.08.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) पदेन
गंगापुर, भीलवाडा (राज.)

Scanned with CamScanner